न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 39 / दावा / 2017

सत्यनारायण आयु 58 वर्ष आत्मज श्री उदयलाल उर्फ उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम तालेडा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

– वादी

– बनाम –

1.यासीन आ0 नाथू खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)

2.आमना पुत्री नाथू खॉ पत्नि अब्दुल मुराद जाति मुसलमान निवासी ग्राम तालेडा हाल वार्ड न.1 अहमदनगर शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज.)

3.अजीजन पुत्री नाथू खॉ पत्नि महबूब जाति मुसलमान निवासी ग्राम तालेडा हाल वार्ड नं. 1 अहमदनगर शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज.)

4.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय तालेडा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण –

वाद : बंटवारा कृषि भूमि

उपस्थित :– 1. वादी की ओर से कुलदीप सिंह गोड़ अधिवक्ता

2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

3. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)

निर्णय

दिनांक 17.01.2018

1. वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :–

वादी ने एक वाद दिनांक 30.05.2017 को खतोनी सं. 320 की कृषि भूमि ख. सं. 673 / 165 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विरिथत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार उक्त कृषि भूमि में वादी सत्यनारायण का हिस्सा 51 / 672, प्रतिवादी सं. 1 यासीन का हिस्सा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

425/672 व प्रतिवादी सं. 2 व 3 आमना, अजीजन का हिस्सा 7/24 खातेदार अंकित है। खतोनी सं. 321 की कृषि भूमि ख. स. 164 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में वादी का हिस्सा 629/912 एवं नामा सं. 903 दिनांक 27.11.2012 जर्ये विक्रय से आमना व अजीजन का हिस्सा 7/24 पर वादी सत्यनारायण आ0 उदा कोम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खाते में दर्ज रहने से वादी को कृषि भूमि का लगान पिलाई जमा करवाने, कृषि भूमि का विकास करने में असुविधा का सामना करना पडता है तथा कई बार तो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति के कारण वादी कृषि भूमियों का बंटवारा करवाकर अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमि को पृथक से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को अंतिम बार दिनांक 12.05.2017 को उक्त वर्णित कृषि भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं बिना बंटवारा कराये ही भूमि को बेचान करने की धमकी दी। यही वादकारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से हिस्सा अनुसार भूमि बंटवारे में दी जावे उस भूमि को पृथक से रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं जो भूमि वादी के बंटवारे में आये उस भूमि को वादी के लिये संभलाया जावे तथा उक्त कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस में भी तरमीम फरमाई जावे।

उप खण्ड ... जिला बूंदी

2. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 18.12.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी की ओर से साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज पेश किये गये जिनमे प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम तालेडा प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 ग्राम तालेडा एवं नक्शा ट्रेस ग्राम तालेडा प्रदर्श 3 पेश किये।

4. वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये जमाबन्दी के अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया। यहां पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है ऐसी स्थिति मे वादी वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 673/165 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 164 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी का जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में दर्ज खातेदारों के उसमें वर्णित हिस्से के माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उप खण्ड अधिकारी

तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner